न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/14/2022

शिवराम शर्मा व्यवस्थापक महिला बहुउद्वेश्यीय सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत टोडा तहसील डीग जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 19–8–2019 व मुकदमा सरकार बनाम शिवराम शर्मा न. 16/18 व 16/19 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक 31.5.2022

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 19–8–2019 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एव प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस कहा कि उसकी अपील मे अंकित कथन ही उसकी बहस मानी जावे । इसके अलावा उसे कुछ नहीं कहना है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कथन किया है जो संक्षेम में निम्न प्रकार है।

अपील की मद नम्बर –2 में कथन है कि प्रकरण संख्या 16/19 में जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें आरोप से इन्कार किया है। जबाब के अवलोकन के बिना आज्ञा पारित की है।

अपील की मद नम्बर–3 में कथन है कि प्रकरण संख्या 26/18 व 16/19 में अपीलान्ट द्वारा शिकायतकर्ताओं के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन्होने शिकायतें झूठी होना व राशन सामग्री सही रुप से मिलने की बावत लिखा है, अधिनस्थ न्यायालय ने सभी शपथ पत्रों की जांच कराई गई, सभी शपथ पत्र सही पाये गयें हैं सभी उपभोक्ताओं ने

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

राशन सामग्री सही रुप से वितरण होने बाबत बयान दिये हैं। इस पर तहत न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया।

अपील की मद नम्बर– 4 में अंकित किया है कि दोनों प्रकरणों में मौके की जांच में अपीलान्ट के पास किसी प्रकार का अतिरिक्त स्टॉक नहीं मिला है जितना अपीलान्ट के पास स्टाक होना चाहिये उतना स्टॉक अपीलान्ट के पास मिला है। मात्र राशन कार्डो में इन्द्राज ना होने के कारण अपीलान्ट के विरुद्व वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है जब कि उपभोक्ताओं ने अपने बयानों में राशन वितरण सही रुप से होना अंकित किया है। भीड अधिक होने के कारण किन्ही किन्ही राशनकार्डो में इन्द्राज होने से रह जाते हैं, जिस आधार बनाकर अपीलान्ट के विरुद्व गबन का आरोप लगाया गया जो साक्ष्य से कही सिद्व नहीं हुआ है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय की आज्ञा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई हे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनो मे जाहिर किया कि अपीलान्ट के खिलाफ दो शिकायत प्रकरणों क्रमशः 26/2018 व 16/19 का निस्तारण एक ही निर्णय से किया गया है। प्रकरण संख्या 26/2018 – दिनांक 10.5.2018 को ग्रांम पंचायत सरपंच एवं अन्य उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत पर ई. ओ. रसद द्वारा दिनाक 25.5.2018 को जांच की गई, वक्त जांच मौके पर शिकायतकर्ताओं द्वारा राशनकार्ड पेश किये गये जिनकी जांच में पाया गया कि राशनकार्ड संख्या 00742960040 मुखिया दाताराम के कार्ड में दिसम्बर 2017 से पूर्व का कोई इन्द्राज नहीं है। उपभोक्ता ने इस से पूर्व गेहूँ नहीं मिलना बताया, ऑन लाइन वितरण में इस से पूर्व डीलर द्वारा 300 किग्रां. का वितरण दर्शाया गया जिसे उपभोक्ता ने नहीं मिलना बताया । राशनकार्ड संख्या 007429600235 रामजीलाल के कार्ड में नबम्बर 2017 से पूर्व का गेहू का इन्द्राज नहीं पाया गया, ऑनलाइन वितरण में 300 किग्रां गेहूँ का वितरण दर्शाया गया है पूर्व का गेहूँ उपभोक्ता ने नही मिलना बताया है। राशनकार्ड संख्या 0749600398 प्रेमसिंह के कार्ड में नबम्बर 2017 से पूर्व का इन्द्राज नहीं है कार्ड धारक ने गेहूँ नहीं मिलना बताया, इससे पूर्व ऑन लाइन 240 किग्रा का वितरण दर्शाया गया है। राशनकार्ड संख्या 007429600277 रामधन में नबम्बर 20.4.17 से पूर्व का इन्द्राज नहीं है व ऑनलाईन वितरण में 300 किग्रा0 का वितरण दर्शाया है। राशनकार्ड संख्या 200002327456 लख्खी में 28.11.2017 से पूर्व गेहू का इन्द्राज नहीं है व उपरोक्ता ने गेंहूं नहीं मिलना बताया। ऑनलाईन वितरण में उक्त तिथि के वाद 400 किग्रा. गेंहू का वितरण दर्शाया गया है। राशनकार्ड संख्या 20002180198 रज्जो में 16.11.2017 से पूर्व का एक मात्र इन्द्राज 23.4.2017 का है, अन्य कोई इन्द्राज नहीं है ऑन लाईन वितरण मे इसके अतिरिक्त 75 किग्रा. का वितरण दर्शाया गया है। राशनकार्ड संख्या 007429600358 बृजेश का कार्ड प्रस्तुत किया जिसमे 15.11.2017 से पूर्व का गेहूँ का इन्द्राज नही है परन्तु ऑन लाइन इसके अतिरिक्त 105 किग्रा का वितरण दर्शाया गया है। राशनकार्ड संख्या 00742960086 सीराम में 11.12.2017 से पूर्व का कोई इन्द्राज नहीं है, भाई गोपी ने कार्ड प्रस्तुत किया

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

है । इससे भिन्न 135 किग्रा. का ऑन लाईन वितरण दर्शाया गया है। राशनकार्ड संख्या 007429600273 मुक्खी के कार्ड में खाद्यान्न का कोई इन्द्राज नहीं है 16.11.2017 से पूर्व का जब कि 205 किग्रा. का वितरण दर्शाया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कोई जबाब पेश नहीं किया। पैराकार सरकार ने बताया कि अपीलार्थी बाद की सोच के तहत शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत वापिस लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 16/2019 के प्रकरण में डीलर के विरुद्व सामग्री के वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर जॉच मे निम्न अनियमितताऐं पाई गई–वक्त जांच डीलर की दुकान बन्द पाई गई। उपस्थित उपभोक्ताओं ने डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना बताया गया। उपभोक्ताओं ने बताया कि किसी किसी माह पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन कर ट्रांजेक्शन किये जाने के उपरान्त भी खाद्यान्न व कैरोसीन का वितरण नहीं किया जाता है, ऐसे उपभोक्ताओं के राशनकार्डो का आनॅलाइन रिपोर्ट से मिलान कर शिकायत की पुष्टि हुई जिसमें कुल 32.5 लीटर कैरोसीन व 75 किग्रां गेहूं का ट्रांजेक्शन करने के पश्चात भी वितरण नही किया। उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में इन्द्राज नहीं है। उक्त अनियमितताओं के बाबत डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया गया। डीलर को बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नहीं किया गया। डीलर द्वारा पाश्चतवर्ती सोच के तहत शिकायतकताओं के प्रार्थना पत्र डीलर के विरुद्व की गई शिकायत को वापिस लेने का पेश किये गये। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया पाया गया है डीलर द्वारा आन लाईन इन्द्राज कर वितरण दर्शाया जाकर सामग्री की कालाबाजारी की गई है। उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा गेहूं प्राप्ति से वंचित कर उनके गेहूं की कालाबाजारी की गई है। पैरोकार का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने अपने आरोप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। बल्कि शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र शिकायत वापिस लेने के आधार पर अपने आप को निर्दोष मान रहा है, यह डीलर की पाश्चत वर्ती सोच के तहत बाद में उपभोक्ताओं से मिल्लत कर प्रार्थना पत्र दिलवाया गया है। अपीलधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील काबिल खारिज के रहती है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–8–2019 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 16/19 तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त पत्रावली की आर्डरसीट दिनांक 12.4.2019 में अंकित है कि :–

> ".....अप्रार्थी डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाब पेश किया गया तथा जबाब के समर्थन में शपथ पत्र/प्रा.पत्र बत्तन पुत्र रोशन , रत्तो पुत्र हरेत, प्रेमसिंह/ चन्नी, रामसिंह पुत्र प्रभाती, कमला पत्नी महीपाल पेश किया गये ....."

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपीलार्थी द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि:–

"....प्रार्थी की तबियत अचानक खराब हो गई थी ....डाक्टर को दिखाने के तुरन्त बाद दुकान को खोल ली गई थी.....किसी भी उपभोक्ता से अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है.....सभी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण वायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त कर दिया गया था तथा दुकान पर अधिक भीड़ होने कारण राशनकार्ड में इन्द्राज करने से रह गया था राशन सामग्री का गवन नहीं किया गया है.....जिन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई है उनमें से पांच उपभोक्तओं.....द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सामग्री मिलना स्वीकार किया है.....प्रार्थी की मामूली सी गलती को माफ करते हुए कारण बताओ नोटिस निरस्त फरमाने की कृपा करें.....।"

अपीलान्ट डीलर द्वारा अपने जबाब के साथ जिन तथाकथित पांच उपभोक्ताओ प्रा.पत्र क्रमशः बत्तन पुत्र रोशन , रत्तो पुत्र हरेत, प्रेमसिंह/ चन्नी, रामसिंह पुत्र प्रभाती, कमला पत्नी महीपाल प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं, उक्त सभी पांचों उपभोक्ताओ के टाईप शुदा प्रार्थना पत्र में एक ही भाषा अंकित है जो इस प्रकार है :–

> ".....प्रार्थी अपनी शिकायत वापिस लेना चाहता हूँ। राशन डीलर से मैं पूरी तरह से संतुष्ठ हूँ। मैंने अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। मेरी राशन डीलर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है .....मेरी शिकायत वापिस करने की कृपा करें.....।"

उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि डीलर के खिलाफ सामग्री वितरण नहीं किये जाने की शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा की गई है। डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा मौके पर जांच की गई है। तहत पत्रावली में उपलब्ध जांच फर्द मोका दिनांक 5.3.2019 का अवलोकन किया गया फर्द मोका जांच में अपीलान्ट डीलर पर लगाये गये आरोपों को सही होना बताया है तथा फर्द मौका पर मोके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर भी किये हुये हैं। अपीलान्ट डीलर द्वारा अपने जबाब के साथ जिन पांच उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं उन्ही उपभोक्ताओं द्वारा भी फर्द मौका जांच रिर्पोट दिनांक 5.3.2019 में हस्ताक्षर अगुंठा निशानी की गई हैं। बाद में दिनांक 12.4.2019 को उक्त पांच उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत वापिस लेने सामग्री पूर्ण मिलने बाबत प्रार्थना पत्र डीलर द्वारा पेश किये गये हैं, ये पांच उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र डीलर द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपीलान्ट डीलर की पाश्चवर्ती सोच है। कुछ उपभोक्ताओं के शिकायत वापिस लेने से अपीलान्ट डीलर अपने किये गये रिकार्डिड कृत्य से मुक्त नहीं हो सकता है क्यों कि मोके पर की गई जांच में रिकार्ड एवं आनलाईन ट्रांजेक्शन रिकार्ड से एवं मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री नहीं मिलने का उल्लेख करना यह साबित करता है कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप सही हैं।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

शिकायत प्रकरण संख्या 26/2018 की तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली तहत के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर ने लगाये गये आरोपो का कोई जबाब तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अपितु अपीलान्ट डीलर ने कुछ उपभोक्ताओं क्रमश रामधन पुत्र उमराव, भीम पुत्र जोहरी, रज्जो पुत्र भूरीसिंह, मुक्खी पुत्र प्रताप,सीताराम पुत्र भागमल, हरि पुत्र धान्धू के प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में पेश किये गये हैं, उक्त सभी उपभोक्ताओ के टाईप शुदा प्रार्थना पत्र में एक ही भाषा अंकित है जो इस प्रकार है :–

> ".....प्रार्थी अपनी शिकायत वापिस लेना चाहता हूँ। राशन डीलर से मैं पूरी तरह से संतुष्ठ हूँ। मैंने अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। मेरी राशन डीलर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है .....मेरी शिकायत वापिस करने की कृपा करें.....।"

उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट डीलर के खिलाफ खाद्य सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की जॉच प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा की गई है। फर्द मौका जांच रिपोट दिनांक 25.5.208 एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.5.2018 का एवं तहत पत्रावली में उपलब्ध आनलाईन किये गये ट्रांजेक्शन रिपोट सीट का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के राशनकार्ड एवं पूछताछ एवं डीलर द्वारा खाद्य सामग्री आनलाईन वितरण सम्बन्धी सम्बन्धित उपभोक्ताओं की वितरण सीट से मिलान किया गया है। जिसमें डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को मिलने वाली सामग्री गेहूं वगे. का आन लाईन ट्रांजेक्शन किया है परन्तु डीलर द्वारा समन्धित उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं किया जाना पाया है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने भी डीलर द्वारा गेंहू नहीं देने की शिकायत की है।

डीलर द्वारा यह कहना कि भीड़ के कारण वितरण की गई सामग्री का इन्द्राज राशनकार्ड में नहीं हो पाता है, स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि वक्त जांच आनलाईन वितरण ट्रांजेक्शन सीट में डीलर द्वारा गेहूं का उपभोक्ताओं को वितरण दर्शाया गया है परन्तु उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत की जांच आनलाईन ट्रांन्जेक्शन सीट से की गई है जिसमें उपभोक्ताओं की खाद्य सामग्री का उठाव का इन्द्राज है परन्तु उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में लगाये गये आरोपों को छोटी गलती होना मानते हुये माफ करने की प्रार्थना की गई है, चोरी छोटी हो बड़ी नियम कानून दोनों के लिये एक हैं। राज्य सरकार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के लिये ही बायोमेट्रीक व्यवस्था एवं आनलाईन ट्रांजेक्शन नियम लागू किये गये हैं, तथा वितरण सामग्री का राशनकार्डों में इन्द्राज का प्रावधान भी नियमों में है। अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिये गये नियम प्रावधानों का उल्लंघन करना छोटी सी गलती मानता है। अपीलान्ट दण्ड का भागी है। अपनी शिकायत वापिस लेने सामग्री पूर्ण मिलने बाबत प्रार्थना पत्र डीलर द्वारा

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

पेश किये गये हैं, उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत वापिस लिये जाने के प्रार्थना पत्र डीलर प्रस्तुत किया जाना अपीलान्ट डीलर की पाश्चवर्ती सोच है। कुछ उपभोक्ताओं के शिकायत वापिस लेने से अपीलान्ट डीलर अपने किये गये रिकार्डिड कृत्य से मुक्त नहीं हो सकता है क्यों कि मोके पर की गई जांच में रिकार्ड एवं आनलाईन ट्रांजेक्शन रिकार्ड से एवं मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री नहीं मिलने का उल्लेख करना, उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में वितरण की गई खाद्यान्न सामग्री का इन्द्राज नहीं करना यह साबित करता है कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप सही हैं। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31–5–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर ,भरतपुर